बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::कार्यालय आदेश::—

का0आ0सं0—2/अ०प्र०—1—275/2018 586 /पटना, दिनांक :— 22.10.25

श्री विजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त आरोप यथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर में दिनांक 26.07.2016 को योगदान देने के पश्चात् लगातार अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर के आदेश ज्ञापांक—747 दिनांक 20.10.2016 एवं 774 दिनांक 29.10.2016 द्वारा नवपदस्थापित स्थान पर क्रमशः प्राक्कलक के रूप में एवं निविदा संबंधी कार्य के निष्पादन हेतु कार्य करने के लिये आदेशित करने के बावजूद अपने कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा श्री झा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण पूछे जाने के बावजूद श्री झा द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिये जाने के कारण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 3217 दिनांक 02.07.2018 द्वारा श्री झा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. विभाग स्तर से श्री झा के विरूद्ध संशोधित आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 1878 अनु0 दिनांक 05.07.2019 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री झा के पत्रांक शून्य दिनांक 18.10.2022 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर योजना एवं विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। योजना एवं विकास विभाग द्वारा श्री झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सत्य रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का मंतव्य दिया गया।

3. उपर्युक्त के आलोक में श्री विजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव श्री विजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री विजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/X/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

https://rwd.bihar.gov.in

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–275/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को 45 दिनों के अंदर समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

21/X/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–275/2018 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री वीरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यालय/श्री विजेन्द्र झा, तदेन कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत। पत्राचार का पता–गायत्री मंदिर गेट के ठीक सामने प्रतापनगर, रांगजला, सहरसा, पिनकोड–852201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

21/X/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–275/2018 11078 /पटना, दिनांक :– 22-10-25

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/X/25

अवर सचिव